

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2022/ 7146

दिनांक: 07.02.2022

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:—पंचायतीराज संस्थाओं के आम/उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित करने हेतु।

महोदय,

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 31.01.2022 तक रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराए जाने हैं। रिक्तियों की सूची परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है।

पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक 580 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा जिला करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, एवं बारां जिलों में कुल 14 ग्राम पंचायतों का पुर्नगठन किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार उक्त 14 ग्राम पंचायतों में नए सिरे से आम चुनाव होने थे किन्तु पंचायतीराज विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 857 दिनांक 05.10.2021 से उक्त जिलों में से जिला करौली, कोटा, धौलपुर, अलवर, एवं बारां जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों (अलवर जिले की 4 ग्राम पंचायत लेकडी, चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा को छोड़कर) का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं होने के कारण इन ग्राम पंचायतों में आम चुनाव कराने संबंधी बिन्दु को प्रत्याहरित कर लिया गया। अतः विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 से पुर्नगठित अलवर जिले की ग्राम पंचायत लेकडी (पंचायत समिति बानसूर), चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा (पंचायत समिति लक्ष्मणगढ) में ही आम चुनाव होने है।

उक्त के अतिरिक्त सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत भांवरा एवं राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम की ग्राम पंचायत कूकडा, लसाडिया एवं थानेटा का कार्यकाल भी माह मई, 2022 में समाप्त हो रहा है। इनके आम चुनाव भी माह मई, 2022 में कराए जाने है।

अतः परिशिष्ट 'A' पर अंकित रिक्तियों के अतिरिक्त पैरा 2 एवं 3 में अंकितानुसार अलवर जिले की पंचायत समिति बानसूर की ग्राम पंचायत लेकडी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ की ग्राम पंचायत चिमरावली गौड, हसनपुर एवं कफनवाडा एवं सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत भांवरा एवं राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम की ग्राम पंचायत कूकडा, लसाडिया एवं थानेटा के लिए भी निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर तैयार की जानी है।

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियां तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

A- विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील) द्वारा सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से प्रपत्र ए-1 में सूचना तैयार की जाएगी।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2022 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।
3. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पत्रांक 1586 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए, किन्तु कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त सीमा को 1000 तक सीमित कर दिया गया है ताकि मतदान के समय मतदाताओं के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। अतः मतदान बूथ स्थापित करते समय एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 तक रखी जाए।
4. पंचायत चुनाव में एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा-पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक-पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा।
5. यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई वार्ड एक से अधिक जिला परिषद/पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो तो पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव हेतु उस वार्ड के लिए पृथक-पृथक बूथ स्थापित किए जाए।
6. प्रपत्र ए-1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी:-

क.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार कर अपलोड करने की अंतिम तिथि	14.02.2022
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	17.02.2022
3.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	18.02.2022
4.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	22.02.2022
5.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हो तो)	24.02.2022
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
7.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	25.02.2022

7. प्रणकों से प्रपत्र ए-1 तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची पर अपलोड करवाएंगे। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा।

20/2/22

8. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रणाली द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए-1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लें।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

- :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: -

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	26.02.2022 (शनिवार) को
2.	विशेष अभियान तिथियां	27.02.2022 एवं 06.03.2022
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.03.2022 (गुरुवार) को
4.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	16.03.2022 (बुधवार) तक
5.	पूरक सूचियों की तैयारी	25.03.2022 (शुक्रवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	29.03.2022 (मंगलवार) को

C. सामान्य निर्देश :-

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा-18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
- चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः एक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र हेतु चयन किए गए कक्षाओं के मध्य पर्याप्त दूरी हो। यदि किन्ही कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध अन्य किसी भवन में मतदान बूथ की स्थापना की जाए ताकि मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके।

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग-अलग किया जायेगा। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।
6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।
7. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी विशेष अभियान तिथियों में पूर्ण दिवस प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक एवं शेष दिवसों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावे एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।
8. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। इस हेतु प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किया जाए कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान भी कर लें।
9. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई-सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
10. नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियाँ ऑनलाईन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावे व आपत्तियाँ प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया ई-सूची ऑपरेशन मैनुअल में बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त ऑपरेशन मैनुअल ई-सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।
11. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर उपलब्ध विकल्प Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करना है। इस विकल्प के चयन के बाद तीन विकल्प (Addition, Deletion and Updation) दर्शित होंगे। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करेगा। विकल्प के चयन के पश्चात् चयन किए गए विकल्प से संबंधित सूचनाएं भरने एवं वांछित दस्तावेजों के अपलोड करने के पश्चात् भरी गई सूचना को 'Save' करना होगा। सूचनाएं 'Save' करने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर निम्नानुसार एक संदेश दिखाई देगा :-

“संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए जल्द ही आपसे संपर्क करेगा ऑनलाईन आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब आप सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे”

इस संदेश के नीचे 'Submit' का विकल्प उपलब्ध होगा। आवेदक जैसे ही 'Submit' के विकल्प पर क्लिक करेगा, उसका आवेदन पत्र संबंधित ईआरओ के पास चला जाएगा, जो उसे Claim & Objection सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' में नजर आएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों व आपत्तियों के प्रिंट लेने हेतु ई-सूची पर उपलब्ध 'Download' सेक्शन में 'e-suchi PDF Factory' विकल्प के चयन करने के बाद दर्शित होने वाले तीन विकल्पों में से तीसरे विकल्प 'Download on line form for PRI' का चयन करने के बाद वांछित आवेदन को डाउनलोड करके उनका प्रिंट लिया जा सकता है।

उक्तानुसार आवेदनों का प्रिंट लेने के पश्चात् संबंधित प्रगणक द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित कराने के बाद प्रगणक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र ईआरओ कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रकार प्रगणक से प्राप्त दावों व आपत्तियों को ईआरओ द्वारा जांच कर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों को ऑफ लाइन प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही रिकार्ड में रखा जाएगा। ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़ने/हटाने एवं संशोधन किए जाने हेतु पिन कोड के माध्यम से प्रविष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रगणक की टिप्पणी सहित प्राप्त आवेदन पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इनका निस्तारण ई-सूची के माध्यम से ऑन लाइन ही किया जाना है। इस हेतु ई-सूची पर प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. ई-सूची पर लॉगिन करने के पश्चात् 'Claim & Objection' सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' के विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर एक Window खुलेगी।
2. इस Window में वार्ड संख्या के चयन करने बाद वार्ड संख्या के नीचे तीन विकल्प 'Application for claim for Addition', 'Application for Objection-Delete' एवं 'Application for Detail correction Updation' दिखाई देंगे। इन विकल्पों के सामने ही Pending, Accept एवं Reject किए गए आवेदनों की संख्या भी दिखाई देगी।
3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या-7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।
4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड़/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑनलाईन आवेदन दिनांक 07.03.2022 तक स्वीकर किए जाएंगे।
12. कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का परामर्श है कि मतदाताओं को दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन माध्यम का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
13. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग के आदेश क्रमांक 5433/27.11.2019 (सांविधिक आदेश 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के

समय तैयार की जाने वाली प्रतियों के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 5520 दिनांक 28.11.2019 जारी किया हुआ है। उक्त पत्र पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या क्रमशः 44 एवं 49-50 पर उपलब्ध है।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के दिन जिन रिक्तियों के लिए प्रारूप प्रकाशन किया गया है उनके पूर्ण विवरण सहित सूचना उसी दिन ई-मेल के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

विशेष नोट - चूंकि कोविड-19 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए:-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान मास्क लगाना आवश्यक होगा एवं समय-समय पर सैनेटाइजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट (2 गज) की दूरी रखी जाएगी।
3. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
4. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

भवदीय,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 07.02.2022

क्रमांक: एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2022/7147-51

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक, REIL जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग।
5. संस्थापन/स्टोर/लेखा शाखा राज्य निर्वाचन आयोग।

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं में उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

(दिनांक 31.01.2022 तक)

क्र. सं.	जिला	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या	पंचायत समिति सदस्य/ प्रधान/ उपप्रधान		सरपंच/ उपसरपंच पद की रिक्ति का विवरण			वार्ड पंचों की संख्या
			प.स. का नाम	नि. क्ष. सं.	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम	सरपंच	
1	2	3	4	5	6	7		9
1	अजमेर				सावर	मेहरुकला	सरपंच	14
2	अलवर		उमरैण	15				19
3	बांसवाड़ा							8
4	बारां				छीपाबडौद	भावपुरा	सरपंच	11
5	बाड़मेर		बालोतरा	22	आडेल	अर्जुन की ढाणी	सरपंच	17
					धौरीमन्ना	उडासर	सरपंच	
			धौरीमन्ना	04	चौहटन	आंटिया	सरपंच	
					बाडमेर	बोला	सरपंच	
6	भरतपुर		रूपवास	05				16
7	भीलवाड़ा	33	बदनोर	09	हुरडा	लाम्बा	सरपंच	16
					कोटडी	आसोप	सरपंच	
8	बीकानेर				सूचना प्राप्त होना शेष			
9	बून्दी							04
10	चित्तौड़गढ़		कपासन	10	बेगूं	माधोपुर	सरपंच	05
			बडीसादडी	12	निम्बाहेडा	बांगेडाघाटा	सरपंच	
11	चुरू		सुजानगढ़	21				20
12	दौसा		बैजुपाडा	16	बैजूपाडा	टुडियाना	सरपंच	38
						गगवाना	सरपंच	
						बालाहेडी	सरपंच	
13	धौलपुर							03
14	डूंगरपुर		सागवाडा	20				16
			दोवडा	17				
				18				
15	हनुमानगढ़							12
16	जयपुर		आंधी	10	कोटखावदा	बल्लूपुरा	सरपंच	41
					तुंगा	सांभरिया	सरपंच	
						पालावालाजाटान	सरपंच	
						खिजुरियाब्राह्मणान	सरपंच	
17	जैसलमेर				सम	कोटडी	सरपंच	02
18	जालौर		बागौडा	21				18
19	झालावाड़	03						09
20	झुन्झुनूं							18
21	जोधपुर		बालेसर	05	बालेसर	सिहान्दा	सरपंच	16
22	करौली				श्रीमहावरजी	बरगमा	सरपंच	11
23	कोटा							13
24	नागौर							33
25	पाली		रानी	06				20
26	प्रतापगढ़		प्रतापगढ़	13	छोटीसादडी	करणपुरकलां	सरपंच	05
			पीपलखूं	03				
			खमनोर	17				
27	राजसमन्द		राजसमंद	01	खमनोर	शिशोदा	सरपंच	15
					देलवाडा	भैंसाकमेड	सरपंच	
						नेगडिया	सरपंच	
28	सवाईमाधोपुर							04
29	सीकर				अजीतगढ़	लादी का बास	सरपंच	33
					पिपराली	चैनपुरा	सरपंच	
					फतेहपुर	मांडेलाबडा	सरपंच	
30	सिरोही							04
31	श्रीगंगानगर				रायसिंहनगर	ठंडी (21/23 एनपी)	सरपंच	12
32	टोंक				निवाई	हनोतिया बुर्जुग	सरपंच	06
					देवली	दूनी	सरपंच	
33	उदयपुर		भीण्डर	03	कोटडा	रुजिया खुणां	सरपंच	27
			सलुम्बर	12		तेजाकावास	सरपंच	
	योग	02	पंचायत समिति सदस्य-22				32	486

20/9/22

ग्राम पंचायतो की सूची जिनके आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करवाया जाना है।

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	
1.	अलवर	बानसूर	1.	लेकडी
		लक्ष्मणगढ़	2.	चिमरावली गौड
			3.	हसनपुर
			4.	कफनवाडा
2.	राजसमंद	भीम	5.	कूकड़ा
			6.	लसाड़िया
			7.	थानेटा
3.	सवाई माधोपुर	बामनवास	8.	भांवरा

३०/५